

# बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

## आदेश

सं० सं०-2/सा०चि०पदा०-193/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० अंकिता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा द्वारा दिनांक-27.09.2021 से 04.11.2021 तक कुल-39 (उनचासी) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 टिप्पणी 1(i) के आलोक में मातृत्व (गर्भपात) अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-193/2024- 496(2) पटना, दिनांक 21/3 / 2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/अधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० अंकिता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव